

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- 33 / 2023**

**रजिस्ट्रेशन सं. :- 2023 / 208**

**बचनवान**

राजस्थान सरकार जयें श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों **(प्रार्थी)**

**बनाम**

1. श्री महेन्द्र कुमार सुमन पुत्र श्री मूल चंद जाति माली निवासी एसबीआई बैंक के सामने, मांगरोल जिला बारों (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स महेन्द्र किराना स्टोर, स्टेट बैंक के सामने, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों
2. मैसर्स महेन्द्र किराना स्टोर, स्टेट बैंक के सामने, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों
3. श्री लेखराज गुर्जर पुत्र श्री ब्रज गोपाल निवासी गणपति नगर, नाइयों की बाडी के पीछे, बारों (मालिक) मैसर्स देव दूध डेयरी, तेल फैक्ट्री, बारों
4. मैसर्स देव दूध डेयरी, तेल फैक्ट्री, बारों
5. श्री जीतमल मीणा पुत्र श्री भूरालाल मीणा निवासी पटेल मोहल्ला, बम्बूलिया, मनोहर थाना जिला झालावाड (नोमिनी) मैसर्स अनिक मिल्क प्रोडक्ट प्रा. लि. सर्वे नं. 105/1, ग्राम बिलावाली मक्खी रोड, एबी रोड देवास 455001 म.प्र.
6. मैसर्स अनिक मिल्क प्रोडक्ट प्रा. लि. सर्वे नं. 105/1, ग्राम बिलावाली मक्खी रोड, एबी रोड देवास 455001 म.प्र.

**(अप्रार्थीगण)**

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) 51/58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.

**(प्रार्थी)**

2- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक

**(अप्रार्थीगण)**

**निर्णय दिनांक 28.03.2024**

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.01.2023 को मैसर्स महेन्द्र किराना स्टोर, स्टेट बैंक के सामने, इटावा रोड, मांगरोल जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री महेन्द्र कुमार सुमन पुत्र श्री मूल चंद सुमन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.05.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 172 दिनांक 01.02.2012 एवं 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध (सौरभ) 500 एमएल मूल पॉलीपैक** फ्रिज में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध (सौरभ) 500 एमएल मूल पॉलीपैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र रूप से विक्रेता की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध (सौरभ) 500 एमएल मूल पॉलीपैक** के 04 मूल पॉलीपैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री महेन्द्र कुमार सुमन पुत्र श्री मूल चंद सुमन (विक्रेता एवं मालिक) को 116/- रुपये (अक्षरे एक सौ सोलह रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध(सौरभ) 500 एमएल मूल पॉलीपैक** के चारों भागों को हिलामिलाकर एकरूप करके चार साफ-सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक में फार्मलीन की 40-40 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1645 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1645 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री महेन्द्र कुमार सुमन पुत्र श्री मूल चंद सुमन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/48 दिनांक 06.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 50/PHL/Kota/Act/2023/50 दिनांक 23.01.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(Zx) **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध (सौरभ) 500 एमएल मूल पॉलीपैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जाँच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थीगण द्वारा** दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है तथा उक्त खाद्य पदार्थ जिस अवस्था में पैक होकर आता है, उसी अवस्था में ग्राहकों को वितरण किया जाता है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध (सौरभ)** की जांच रिपोर्ट में मिल्क सॉलिड फ़ैट के Prescribed standards (8.5%) एवं प्राप्त Result (8.1%) में कुछ Points का ही अंतर है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावे।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ज खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 50/PHL/Kota/Act/2023/50 दिनांक 23.01.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ज पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जाँच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जाँच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुरीकृत होमोजिनाइज्ड टोण्ड दूध (सौरभ) 500 एमएल मूल पॉलीपैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 50/PHL/Kota/Act/2023/50 दि. 23.01.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 35,000/-रूपये (अक्षरे पैंतीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट,  
बारों (राज.)